

2019/00470

राजस्थान - सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाडा


क्रमांक:न्यायालय/न्यायिक स्टाम्प रिफण्ड/2019/1085 दिनांक-16/11/2019

:: आदेश ::

प्रार्थी नितिन स्पिनर्स लिमिटेड भीलवाडा ने दिनांक 15.11.2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चालान सं. 0031047804 जमा दिनांक 12.06.2019 से कुल रूपये 2,66,200/-रूपये गलत कोड के कारण उपयोग में नहीं आ सके। उक्त चालान का प्रार्थी द्वारा उपयोग नहीं किया गया। ई चालान द्वारा जमा राशि बाद कटौती कमीशन, राशि रिफण्ड कराना चाहता है।


राशि रिफण्ड के संबंध में कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग वृत्त भीलवाडा के पत्रांक/3714 दिनांक 11.11.2019 अनुसार ई चालन जी आर नं. 0031047804 जमा दिनांक 12.06.2019 से कुल रूपये 2,66,200/- की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। शासन उप सचिव वित्त (राजस्व) राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक प.2(32)वित्त/कर / 2006 / दिनांक 07.03.2007 के अन्तर्गत कोर्ट फीस स्टाम्प रिफण्ड में 6.25 प्रतिशत की दर से कटौती करने का प्रावधान किया है। राजस्थान कोर्ट फीस एवं सूट वेल्यूशन नियम 1961 के नियम 27 के अन्तर्गत प्रार्थी नितिन स्पिनर्स लिमिटेड भीलवाडा को क्रय सुदा स्टाम्प 2,66,200/-रु. राशि में से 6.25 प्रतिशत राशि रूपये 16637/- की कटौती की जाकर रूपये 2,49,562/- अक्षरे दो लाख उनपचास हजार पांच सौ बासठ रूपये रिफण्ड किए जाने के स्वीकृती प्रदान की जाती हैं।

0030 - स्टाम्प और पंजीकरण
01 - स्टाम्प और अदालती
102 - स्टाम्पों की बिक्री
90- घटाइए वापसियाँ


जिला कलक्टर
भीलवाडा

प्रतिलिपि

- 1 प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि वादी को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने की कार्यवाही करें।
- 2 कोषाधिकारी भीलवाडा को प्रेषित कर लेख हैं कि वादी द्वारा स्टाम्प की जमा राशि के चालान की प्रति चाहे जाने पर उपलब्ध करावें।
- 3 प्रार्थी नितिन स्पिनर्स लिमिटेड भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि जमा राशी चालान की फोटोप्रति, बैंक खाता नम्बर, पैन नम्बर, आधार नम्बर की फोटोप्रति एवं मोबाईल नं. लेखा शाखा में प्रस्तुत करें।


प्रभारी अधिकारी
न्यायालय अनुभाग